16/3 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/23 को पेश हों।

15/5/23 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/6/23 को पेश हों।

28/06/23 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] पर उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि. 21/7/23 को पेश हो।

21/7/23 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[illegible] [illegible] पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/9/23 को पेश हों।

12/9/23 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/11/23 को पेश हों।

22/11/23 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/1/2024 को पेश हों।

4/1/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[illegible] हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/3/24 को पेश हों।

1/3/24 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/5/24 को पेश हों।

2/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 23/5/24 को पेश हो।

बनाम

23.5.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड तलवाना/तमील नोटिस मिजवाने के बावजूद उपस्थित नहीं आये। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त रूप से काश्त व कब्जा है। वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता अप्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद पुत्र भूराराम के नाम दर्ज है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मेरे पिता प्रहलाद पुत्र भूराराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वे लम्बे समय से मनोरोग से ग्रसित हैं। जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या-3 हरदेवाराम कभी भी बहला फुसलाकर जमीन हड़प सकता है। अतः तादौराने वाद निर्णय वाद ग्रस्त भूमियों बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जावे। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली तथा पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद ग्रस्त आराजियात बाबत सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। वाद के अंतिम निर्णय तक वाके ग्राम पूर्णपुरा की भूमि खसरा नं. 109, 368 व 369 कुल किता 3 कुल रकबा 7.08 है० उभयपक्ष रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपस्थित
3/5/प्रार्थी

अभिभाषक संघ, सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

PTO